प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

सिसवन थाना कांड संख्या 179/2021

26.07.2021 सिसवान थाना कांड संख्या 179/2021 अंतर्गत धारा 341,323,379,504,506 भा.द.वि. एवं धारा 3(1)(r)(s)/3(2)(va) अनु.जा.ज.जाति अत्याचार अधिनियम के काराधीन अभियुक्त दिनेश यादव की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर वॉट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई करते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शुभाष्कर पाण्डेय एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री भागवत राम को सुना एवं अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचक धनजी मांझी का मुख्य रूप से आरोप है कि दिनांक 03.07.2021 को समय करीब शाम 05:00 बजे दिनेश यादव उनके घर के सामने फुलवारी में बैठकर शराब पी रहा था तब सूचक ने कहा कि इस समय घर की बहु–बेटी को बाहर जाने का समय हो गया है यहां पर शराब मत पियों। इस पर अभियुक्त सूचक को जाति सूचक गाली गलौज करते हुए लाठी, डंडा से मारे जिससे सूचक के हाथ, पीठ पर चोट लगा एवं सिर फट गया। जब सूचक घायल होकर गिर गया तब अभियुक्त उसके पॉकेट से 1,000/रुपया निकाल लिया और जान मारने की धमकी दिया। ईलाज कराने के कारण सूचक ने विलंब से आवेदन दिया।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है तथा इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। इनका आगे तर्क है कि जो भी घटना कही गई है और बनावटी तथा मनगढ़त है। प्राथमिकी के अनुसार घटना तिथि दिनांक 03.07.2021 बताई गई है और प्राथमिकी 15 दिनों के विलंब से दिनांक 18.07.2021 को दर्ज कराई गयी है और विलंब का कोई सत्याभाषी कारण नहीं दर्शाया गया है जो कि मामले को झूठा बना रहा है। आवेदक अभियुक्त एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति है उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विशेष अधिनियम का आरोप अभियुक्त पर लागू नहीं होता है क्योंकि घटनास्थल बगीचे का होने की बात कही गयी है। मामले का सूचक स्वयं दारु का धंधा करता है और सूचक का भाई चौकीदार है जिसके सहयोग से उसने यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। 1,000/रुपया जो निकालने की बात कही गयी है वो भी बनावटी है। आवेदक दिनांक 19.07.2021 से ही काराधीन है। अतः उक्त के आलोक में जमानत का लाभ देने की प्रार्थना करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ गाली गलौज एवं मारपीट करने का आरोप है। अतः उक्त के आलोक में जमानत आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की गयी किन्तु इनके द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि सूचक के जख्म को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति के होने का मतंव्य दिया है।

उपरोक्त तर्कों, तथ्यों, परिस्थितियों, मामले को 15 दिन विलंब से दर्ज कराने का कोई सत्याभाषी कारण नहीं होने, सूचक द्वारा 15 दिनों तक ईलाज कराने का कोई दस्तावेज या प्रतिवेदन नहीं होने एवं जमानत आवेदन के कंडिका 4 के अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने के कथन, आवेदक अभियुक्त के काराधीन होने, प्राथमिकी विलंब से दर्ज कराने एवं वर्तमान में कोविड–19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त दिनेश यादव को मो0 10,000/रुपया के समान राशि के दो प्रतिभूवाले बंधपत्र दाखिल करने पर इन्हें जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

ह0/–

विशेष न्यायाधीश,सीवान।